

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) फा १००५१०

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

उनवान

कान्बूलाम

बनाम

राजपूत सिकर

दावा बाबत नाम इरानी पीएस ४४ RTA

मुकदमा नम्बर :- 129/2022

निर्णय दिनांक :- 15.06.2022

वादी की ओर से ~~इस~~ की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.06.2022 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - द्वारा वादी (स्वीकार किया गया) जमाबंदी राबे गंगुपति राव के खाता सं. 216/2020 57, 1047/76 में इज नो रेकार्ड मुग बन्नीराम के स्थान पर कान्बूलाम मुग बन्नीराम के नाम की घोषणा की जाती है। तदपीछा 15.06.2022 को रापार अफिलेस में अफिलेस देलाम करे। वादी के विरुद्ध प्रे में कोई अपील निकाय प्रपत्र दर्ज होने या हाकापी अफिलेस में प्रे नाम की अन्य हाकापी

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सत्यनारायण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रूपया	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील		
जोड़		जोड़

नाम 1628
20/06/2022

